विषयः जनपद न्यायालय, हमीरपुर के चार न्यायालय भवन की पुरानी बाउण्ड्री वाल के मलवे की नीलामी।

नीलामी की तिथि– 28.09.2020
नीलामी का समय– 04.30 अपरान्ह
नीलामी का स्थान– सभागार जनपद न्यायालय, हमीरपुर।

नीलामी सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हमीरपुर के चार न्यायालय भवन की पुरानी बाउण्ड्री वाल के मलवे की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 28.09.2020 का नियत की गयी है। उक्त मलवे की नीलामी मु0 18270/– रुपये निर्धारित रुपये से कम नहीं होगी। इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी बोली में भाग लेने हेतु नियत तिथि को समय अपरान्ह 04.30 बजे सभागार कक्ष जनपद न्यायालय, हमीपुर में उपस्थित होंगे। मलवे के सम्बन्ध में जानकारी नजारत अनुभाग से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

तारीख– 21.09.2020

(जी0 प्रसाद) 21/9/2020
अध्यक्ष नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, हमीरपुर।

नियम व शर्ते

1. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे। अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व मु0 5000/–रुपये नकद जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियो की बोली अस्वीकृत होगी उनकी उक्त जमा धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा जो उक्त धनराशि जमा करेगा।
4. बोली बोलने वाले का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त मलवे का पूर्ण निरीक्षण कर ले।
5. जिसकी बोली अन्तिम स्वीकार की जायेगी उसे बोली का 75 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। यदि अन्तिम बोली बोलने वाले व्यक्ति की निर्धारित धनरशि तुरन्त जमा नहीं की गयी तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक उक्त बोली कर्ता को एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व मलवे को पुनः नीलाम किया जायेगा।

7. नीलामी किये गये मलवे को उच्च बोली बोलने वाले को जब तक सुपुर्दगी नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने बोली की पूर्ण धनराशि का भुगतान न कर दिया हो।

8. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रुप में स्वीकर होगी उस व्यक्ति को मलवे का पूर्ण भुगतान जमा कर देने के पश्चात तथा शर्त संख्या–7 के पूर्ण होने के पश्चात तत्काल मलवे को हटाना होगा।

9. यदि नीलामी की शर्तो के विषय में यदि कोई विवाद उठता है तो माननीय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

10. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद हमीरपुर में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

Prasad 21/9/2020

तारीख– 21.09.2020

(जी0 प्रसाद)
अध्यक्ष नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, हमीरपुर।